

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवान प्र0सं0 64 / 2023 लक्ष्मीनारायण भांभी बनाम रामेश्वर उर्फ रमेश बलाई वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	--	--

02-05-25

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार भीलवाडा ने पत्र क्रमांक भू0अ0 / 2024 / 2647 दिनांक 23.10.2024 से प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.03.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसे वादी अधिवक्ता ने स्वीकार किया। विभाजन प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है :-
ग्राम पासल पटवार हल्का पांसल भू0अ0नि0 क्षेत्र पांसल

खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा
1. रामेश्वर उर्फ रमेश पिता मोडा बलाई सा0 देह खातेदार हि0 683 / 2731	937 / 2	0.2731 है0
2. सोभी पिता प्रभाती जाटव हि0 2048 / 2731 सा0 बयाना हाल निवासी आई-85 बापुनगर भीलवाडा		
लक्ष्मीनारायण पिता नन्दकिशोर भांभी हाल निवासी पुलिसलाईन के पास भीलवाडा	937 / 1	0.0683 है0

उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाडा अमल दरामद करें, विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। निर्णय आज दिनांक 02-05-25 2025 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:-दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

दायर दिनांक

17.05.2025

उनवान

निर्णय दिनांक

02-05-2025

प्रकरण संख्या
64/2023

लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री नन्दकिशोर भांभी निवासी मीरानगर, पुलिस लाईन के पास,
भीलवाड़ा।

बनाम

— वादी

रामेश्वर उर्फ रमेश पुत्र मोडा बलाई, निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा।
सोभी पिता प्रभाती जाटव, निवासी बयाना हाल निवासी आई-85, बापूनगर भीलवाड़ा।
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

—प्रतिवादीगण

स्थित :-

1. वादी अधिवक्ता श्री शोभागमल कुमावत उपस्थित।
2. विपक्षी संख्या 01 व 02 उपस्थित नहीं।
3. विपक्षी संख्या 03 की और से पैरोकार सरकार।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात

वादी की और से अधिवक्ता श्री शोभागमल कुमावत एवं विपक्षी संख्या 01 व 02 उपस्थित नहीं। प्रकरण में - इस वाद में तारीख 02-05-2025 पीठासीन अधिकारी दिव्यराज सिंह चुण्डावत, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम विपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :-

ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल भू0अ0नि0 क्षेत्र पांसल

खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा
1. रामेश्वर उर्फ रमेश पिता मोडा बलाई सा0 देह खातेदार हि0 683/2731	937/2	0.2731 है0
2. सोभी पिता प्रभाती जाटव हि0 2048/2731 सा0 बयाना हाल निवासी आई-85 बापुनगर भीलवाड़ा		
लक्ष्मीनारायण पिता नन्दकिशोर भांभी हाल निवासी पुलिसलाईन के पास भीलवाड़ा	937/1	0.0683 है0

उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाड़ा अमल दरमद करें, विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। निर्णय आज दिनांक 02-05-2025 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा